शीर्ष प्राथमिकता समयबद्ध

संख्या-13/2023/बी-2-355 /दस-2023-आर-2/2016टी.सी.

प्रेषक,

आलोक दीक्षित,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव,
   श्री राज्यपाल।
3. प्रमुख सचिव,
   विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 11 मई, 2023

विषयः वित्तीय वर्ष 2022-2023 के चतुर्थ त्रैमास (माह जनवरी, 2023 से मार्च, 2023 तक) के प्राप्ति एवं व्यय के आँकड़ों के लेखा मिलान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महालेखाकार/राजकोष एवं वी.एल.सी. कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-टी.एम.-2/ग्रुप-4/लेखा मिलान/4738/टीआर-24 दिनांक 20.04.2023 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आंकड़ों के त्रैमासिक लेखा मिलान की प्रक्रिया के क्रम में जनवरी, 2023 से मार्च, 2023 तक के लेखांकित प्राप्तियों एवं व्यय के आंकड़ों का विभागीय आंकड़ों से मिलान के लिये दिनांक 12 मई, 2023 से 26 मई, 2023 तक की अवधि निर्धारित की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्षों/नियंत्रक अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे वित्तीय वर्ष 2022-2023 के चतुर्थ त्रैमास माह जनवरी), 2023 से मार्च, 2023 तक) के विभागीय प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखा मिलान कार्य कराये जाने हेतु संलग्नक-1 में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार डी.डी.ओ. रिकन्सीलियेशन शीट एवं मासिक व्यय विवरण (बी.एम.-4 एवं बी.एम.-13), महालेखाकार कार्यालय के ई-मेल- agaeuttarpradesh1@cag.gov.in एवं फैक्स नं0-0532-2420880 (राजकोष प्रकोष्ठ) या 0532-2421987 पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करायें।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि महालेखाकार कार्यालय की वेबसाइट agup.nic.in पर उपलब्ध वर्ष 2001-2002 से 2021-2022 की अवधि में स्वीकृत किये गये अनावर्ती सहायता अनुदानों के सापेक्ष लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में एवं लम्बित ए.सी. बिल के सापेक्ष डी.सी.बिल का प्रेषण सुनिश्चित करें जिससे नियंत्रक अधिकारियों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

द्वारा स्वीकृत सहायता अनुदानों एवं ए.सी.बिल का समायोजन भी महालेखाकार कार्यालय में संभव हो सके। नियंत्रण अधिकारियों द्वारा समयानुसार लेखा मिलान पूर्ण नहीं कराने पर उत्तरदायित्व उनका स्वयं का होगा और महालेखाकार द्वारा पुस्तांकित आंकडे अंतिम समझे जायेंगे।

यह भी उल्लेखनीय है कि कतिपय ऐसे विभाग भी हैं जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के त्रैमासों के आंकडों का लेखा मिलान अभी तक नहीं कराया गया है। ऐसे विभागों की सूची संलग्नक-2 में उल्लिखित है। अत: इन विभागों के नियंत्रक अधिकारियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा कि वे अपने विभाग से सम्बन्धित आंकडों का लेखा मिलान तत्काल कराते हुए इस सम्बन्ध की गई अद्यावधिक कार्यवाही से शासन को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

4- लेखा मिलान हेतु यदि किसी विभाग का नाम संलग्न सूची में अंकित होने से रह गया है, तो ऐसे विभाग अपने विभाग का लेखामिलान कार्य दिनांक 26 मई, 2023 को पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

संख्या-13/2023/बी-2-355(1)/दस-2023-आर-2/2016टी.सी., तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. उप महालेखाकार/राजकोष एवं वी.एल.सी., कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-टी.एम.-2/ग्रुप-4/लेखामिलान/4738/टीआर-24, दिनांक 20.04.2022 के संदर्भ में।
2. उप महालेखाकार (राजकोष) कार्यालय महालेखाकार,(लेखा व हकदारी)-द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. समस्त अनुभाग अधिकारी,वित्त विभाग।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संलग्नक-1

संख्या-13/2023/बी-2-355 /दस-2023-आर-2/2016 टी.सी. दिनांक - 11 मई, 2023

वित्तीय वर्ष 2022-2023 से सम्बन्धित माह जनवरी, 2023 से मार्च, 2023 तक के विभागीय प्राप्तियों एवं भुगतानों का महालेखाकार कार्यालय में पुस्तांकित आंकड़ों से तिथिवार मिलान हेतु कार्यक्रम।

क्रमांक	विभाग का नाम	मिलान करने की निर्धारित तिथि
1	आबकारी	12.05.2023
2	आवास	
3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन/खानें और खनिज/खादी एवं ग्रामोद्योग/हथकरघा उद्योग/भारी एवं मध्यम उद्योग/मुद्रण तथा लेखन सामग्री)	
4	आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग	
5	ऊर्जा	
6	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण	
7	रेशम विभाग	
8	कृषि विभाग	15.05.2023.
9	परती भूमि विकास	
10	समन्वय विभाग	
11	कृषि विपणन विभाग	
12	भूमि विकास एवं जल संसाधन	
13	ग्राम्य विकास विभाग	
14	भूगर्भ जल विभाग	
15	लघु सिंचाई	
16	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा	
17	पंचायती राज विभाग	16.05.2023
18	पशुधन	
19	दुग्ध विकास	
20	मत्स्य	
21	सहकारिता	
22	कार्मिक एवं नियुक्ति	
23	खाद्य एवं रसद	
24	खेल एवं युवा कल्याण	
25	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग	17.05.2023
26	गृह (कारागार)	
27	गृह (पुलिस)	
28	नागरिक सुरक्षा	
29	राजनीतिक पेंशन	

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्रमांक	विभाग का नाम	मिलान करने की निर्धारित तिथि
30	गृह (गोपन)	
31	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	
32	परिवार कल्याण विभाग	18.05.2023
33	चिकित्सा शिक्षा (एलोपैथी)	
34	आयुर्वेदिक एवं यूनानी	
35	होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग	
36	खाद्य एवं औषधि प्रशासन	
37	नगर विकास	
38	नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग	
39	नागरिक उड्डयन	
40	भाषा	
41	नियोजन	19.05.2023
42	निर्वाचन	
43	न्याय	
44	परिवहन	
45	पर्यावरण	
46	पर्यटन विभाग	
47	प्रशासनिक सुधार	
48	प्राविधिक शिक्षा	
49	अल्पसंख्यक कल्याण	22.05.2023
50	महिला एवं बाल विकास	
51	राजस्व	
52	सहायता एवं पुनर्वास	
53	राष्ट्रीय एकीकरण	
54	लोक निर्माण	
55	राज्य सम्पत्ति विभाग	
56	वन	
57	अपारम्परिक ऊर्जा (नेडा)	
58	विधान परिषद सचिवालय	
59	विधान सभा सचिवालय	23.05.2023
60	विधायी एवं संसदीय कार्य	
61	वित्त विभाग	
62	विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग	
63	बेसिक शिक्षा	
64	माध्यमिक शिक्षा	
65	उच्च शिक्षा	

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्रमांक	विभाग का नाम	मिलान करने की निर्धारित तिथि
66	श्रम	
67	सचिवालय प्रशासन	24.05.2023
68	कार्यक्रम कार्यान्वयन	
69	विकलांग कल्याण	
70	पिछड़ा वर्ग कल्याण	
71	समाज कल्याण	
72	जनजाति कल्याण	
73	सतर्कता विभाग	
74	सामान्य प्रशासन	
75	मुख्यमंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल)	
76	सार्वजनिक उद्यम	
77	सूचना	25.05.2023
78	संस्थागत वित्त	
79	स्टाम्प एवं पंजीयन	
80	मनोरंजन कर	
81	सैनिक कल्याण	
82	व्यापार कर	
83	सांस्कृतिक कार्य	
84	सिंचाई एवं जल संसाधन	
85	उक्त सूची के अतिरिक्त कोई विभाग शेष हो अथवा वे विभाग जो निर्धारित तिथि पर लेखामिलान न करा पाये हो	26.05.2023

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-2

वित्त (आय-व्ययक) अनु.-2 के पत्र संख्या-13/2023/बी0-2-355/दस-2023-आर-2/2016टी.सी.,

दिनाँक- 11 मई, 2023 का संलग्नक

व्यय पक्ष

क्र.सं.	नियंत्रक अधिकारियों का पद नाम	अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष
1	सचिव, न्याय विधि परामर्शी, उ0प्र0 लखनऊ	42	2014-00-114-04
2	सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन परिषद अनुभाग-2,उ०प्र०शासन, लखनऊ	12	2501,2705
3	भूमि उपयोग(नियोजन विभाग) 5वाँ तल योजना भवन, उ0प्र0, लखनऊ	40	2402
4	सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा मुख्य लेखाधिकारी उ0प्र0,जल निगम, लखनऊ।	37	2215, 2217,4215
5	सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	40	4215, 4217
6	सचिव, राष्ट्रीय एकीकरण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ (माह अप्रैल 2022 से दिसम्बर 2022 तक)	53	2070
7	मुख्य भुगतान एवं लेखाधिकारी उ0प्र0 शासन, उ0प्र0 भवन, नई दिल्ली	59	2059
8	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ	60	2406, 2407
9	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, लखनऊ	81, 83	4406

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्राप्ति पक्ष

क्र.सं.	नियंत्रक अधिकारियों का पद नाम	मुख्य लेखाशीर्ष
1	प्रबन्धक वित्त3ठप्र0 भूमि सुधार निगमटी0सी0/91 बी विभूति खण्ड, उ0प्र0, लखनऊ	0506
2	सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा मुख्य लेखाधिकारी उ0प्र0, जल निगम-लखनऊ।	0215
3	निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय उ0प्र0 आठवॉ तल इन्दिरा भवन-लखनऊ	0217
4	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, लखनऊ	0406
5	वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ	0700, 0701
6	अधीक्षण अभियंता कार्यालय प्रमुख अभियंता, लो०नि०वि० (बजट 'क'वर्ग)उ०प्र० लखनऊ	0059,1054

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।